जनपद शामली पुलिस

--मीडिया / सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति दिनांक 07.08.2022

थाना बाबरी

थाना बाबरी पुलिस द्वारा बाबरी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कंजरहेड़ी में महिला को गोली मारकर घायल करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार बरामदः-

दिनांक 06.08.2022 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी थानाभवन के निकट पर्यवेक्षण में थाना बाबरी पुलिस द्वारा सूचना पर लोई नहर के पास से ग्राम कांजरहेड़ी में महिला को गोली मारकर घायल करने वाले 02 अभियुक्तों को अवैध 01 तमंचा मय 01 जिन्दा/01 खोखा कारतूस 315 बोर व अवैध 01 पोनिया बन्दूक मय 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है । गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बाबरी पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 05.08.2022 को थाना बाबरी क्षेत्रान्तर्गत वादी श्री धीर सिंह पुत्र रघुवीर सिंह निवासी ग्राम कंजरहेड़ी थाना बाबरी जनपद शामली द्वारा उनकी पत्नी सुमित्रा देवी (पूर्व प्रधान) को अनिल, सुनील पुत्रगण साहब सिंह निवासी कंजरहेड़ी थाना बाबरी जनपद शामली द्वारा गाली गलोच व जान से मारने की नीयत से तमचे से फायर कर गंभीर रूप से घायल कर देने के सम्बन्ध में थाना बाबरी पर तहरीर दाखिल की थी । दाखिला तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 146/2022 धारा 307, 452, 504, 506 भादवि में थाना बाबरी पर अभियोग पंजीकृत किया गया था । पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना की गम्भीरता के दृष्टिगत थानाध्यक्ष बाबरी को घटना में शामिल अभियुक्तों की शीघ्र ही गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था। थाना बाबरी पुलिस अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयासरत थी।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1.सुनील पुत्र स्व0 साहब सिह निवासी ग्राम कंजरहेडी थाना बाबरी जनपद शामली।
2.अनील पुत्र स्व0 साहब सिह निवासी ग्राम कंजरहेडी थाना बाबरी जनपद शामली

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 01 तमंचा मय 01 जिन्दा/01 खोखा कारतूस 315 बोर।
2.अवैध पोनिया बन्दूक मय 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सुनील उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 01/97 धारा 307 IPC थाना आदर्शमण्डी जिला शामली।
2.मु0अ0सं0 32/97 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना आदर्श मण्डी जिला शामली।
3.मु0अ0सं0 411/03 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली हरिद्वार।
4मु0अ0सं0 146/22 धारा 452/307/504/506 भादवि थाना बाबरी जनपद शामली।
5. मु0अ0सं0 147/22 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना बाबरी जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अनिल उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 146/22 धारा 452/307/504/506 भादवि थाना बाबरी जनपद शामली।
2.मु0अ0सं0 148/22 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना बाबरी जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री रामपाल सिह थाना बाबरी जनपद शामली।
2.उ0नि0 श्री मुकेश दिनकर थाना बाबरी जनपद शामली।
3.का0 विपिन कुमार थाना बाबरी जनपद शामली।
4.का0 हरेन्द्र शर्मा थाना बाबरी जनपद शामली।
5.का0 अशोक कुमार थाना बाबरी जनपद शामली।
6.का0 नवीन कुमार थाना बाबरी जनपद शामली।

थाना झिंझाना

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से फर्जी नम्बर प्लेट व चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामदः-

आज दिनांक 07.08.2022 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध वाहन/व्यक्ति चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा सूचना पर 01 वाहन चोर को फर्जी नम्बर प्लेट एवं चोरी की 01 मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामदा मोटरसाइकिल के संबंध में पूछताछ की गई तो बताया कि उक्त मोटरसाइकिल कस्बा झिंझाना में स्थित पंजाब नेशनल बैंक से चोरी की थी।

ज्ञात हो कि दिनांक 03.08.2022 को समय करीब 1.00 बजे वादी श्री सुमित पुत्र फतेह सिंह निवासी ग्राम लक्ष्मणपुरा थाना झिंझाना जनपद शामली की मोटरसाइकिल HF डिलक्स नम्बर HR-05AE-8755 को PNB बैंक के बाहर से किसी अज्ञात चोर द्वारा चोरी करने के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर तहरीर दाखिल की गई थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 356/2022 धारा 379,420,465 भादवि में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.फरमान उर्फ फानू पुत्र इकराम निवासी ग्राम भूरा थाना कैराना जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.मु0अ0सं0 356/2022 धारा 379,420,465 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1-चोरी की मोटरसाइकिल HF डिलक्स नम्बर HR-05AE-8755 (संबंधित मु0अ0सं0 356/22 धारा 379,420,465 भादवि थाना झिंझाना)।

2.फर्जी नम्बर प्लेट (HR-05ST-4415)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री यूनुस खान थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.का0 रिंकू कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

3.का0 सुनील कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

<u>थाना थानाभवन</u>

<u>थाना थानाभवन पुलिस द्वारा दहेज अधिनियम में वांछित अभियुक्त गिरफ्तारः-</u>

आज दिनांक 07.08.2022 को थाना थानाभवन पुलिस द्वारा दहेज अधिनिमय में वांछित अभियुक्त फरमान पुत्र याकूब निवासी मौहल्ला रायूवाला कस्बा इस्लामनगर थाना रामपुर मनिहारन जनपद स0पुर को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। जो मु0अ0सं0 125/2022 धारा 498A, 323, 377, 504, 506 भादवि व 3/4 दहेज अधिनियम में वांछित चल रहा था। गिरफ्तारी के संबंध में थाना थानाभवन पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

<u>थाना कैराना</u>

<u>थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 04 लीटर कच्ची व 02 लीटर अपमिश्रित शराब बरामदः-</u>

आज दिनांक 07.08.2022 को थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त राशिद उर्फ जानी पुत्र नवाज निवासी ग्राम इस्सोपुर खुरगान थाना कैराना जनपद शामली को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। जिसके कब्जे से 04 लीटर कच्ची व 02 लीटर अपमिश्रित शराब बरामद हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना कैराना पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

<u>थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 01 छुरा बरामदः-</u>

आज दिनांक 07.08.2022 को थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त तारिक पुत्र निवासी मौहल्ला आल दरमियान थाना कैराना जनपद शामली को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। जिसके कब्जे से अवैध 01 छुरा बरामद हुआ है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना कैराना पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।